

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क-2/19

जयपुर, दिनांक: 7 OCT 2020

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र


विषय:- रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के संबंध में।

इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.02.2020 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली पदों पर आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.05.2020 एवं दिनांक 27.07.2020 द्वारा सभी विभागों को अपने-अपने विभाग में सभी संवर्गों के लिए रोस्टर पंजिकाएँ संधारित कर दिनांक 31.08.2020 तक विभाग के शासन सचिव की ओर से इस आशय का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये थे, परंतु कई विभागों द्वारा आदिनांक तक उक्त आशय का प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस क्रम में समस्त संबंधित से पुनः निवेदन है कि अविलम्ब सभी संवर्गों के लिए रोस्टर पंजिकाएँ संधारित कर इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में भिजवाने के साथ ही उक्त रोस्टर पंजिकाओं को विभाग की वेबसाईट पर भी अद्यतन करावें एवं उसका एक लिंक कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया जाये।

उक्त निर्देशों की पालना करते हुए शीघ्रता पूर्वक रोस्टर पंजिका संधारित कर वेबसाईट पर अद्यतन कराते हुए प्रमाण पत्र इस विभाग को भिजवायें।


  
26/10/2020

(हेमन्त गेरा)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ, उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।
6. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त शासन सचिव

64/2020

D:/Vishnu/Circular/2017